नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील किये गये

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

**पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना,** आई.ए.एस.

---

प्र.सं. 46 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 211

1. प्रीतम सिंह राणा पुत्र रफलु निवासी गांव अनोह डाकखाना धमेटा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरदेव सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति कम्बोसिख निवासी चक 12 पी तहसील अनूपगढ़
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व, भू–अभिलेख अनूपगढ़

—प्रत्यर्थीगण

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थिति :–

1. श्री रविन्द्र बलाना, श्री दिनेश कामरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री हरेन्द्र शेखों, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं. 1 से 3
3. तहसीलदार, अनूपगढ, प्रत्यर्थी सं. 4

**–:: निर्णय ::–**

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

दिनांक : 27.02.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि– अपीलार्थी के द्वारा तत्कालीन उपनिवेशन तहसीलदार राज. न. यो. श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 09.10.1984 जिसके द्वारा चक 12 पी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 138 / 54 की 24.10 बीघा भूमि का भजन कौर के नाम से इंतकाल सं. 11 वसीयत आधार पर दर्ज किया गया हैं के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपील दिनांक 03.08.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की गयी एवं प्रत्यर्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश हुआ।

3. उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील एवं प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गयी। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि अपीलार्थी की विरास्तन सम्पत्ति होने से अपीलार्थी का भूमि में जन्म से ही हक व हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का स्वीकार कर अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देने और प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से मियाद मानते हुए अपील अन्दर मियाद स्वीकार फरमाने हेतु निवेदन किया। इसके विपरीत प्रत्यर्थी अधिवक्ता का कथन हैं कि अपीलार्थी द्वारा वसीयत दिनांक 20.07.1976 के आधार पर इन्तकाल आदेश दिनांक 09.10.1984 को चुनौति दी गयी हैं, वैध वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हैं प्रस्तुत अपील अत्यन्त देरीना प्रस्तुत की गयी हैं। अतः अपील को अन्दर मियाद स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। अपीलार्थी जब तक वसीयत को किसी सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेता हैं तब तक अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से प्रभावित व [illegible] नहीं हैं। अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित हैं के संबंध में कोई ठोस [illegible] नहीं किया हैं। अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एव प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested

4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.10.1984 को वसीयत दिनांक 20.07.1976 के आधार पर इन्तकाल स्वीकार करते हुए रफलू पुत्र गुलाबा पोंग बांध अलॉटी की भूमि भजन कौर जोजा दर्शन सिंह के नाम से दर्ज की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा उक्त वसीयत को फर्जी एवं कूटरचित अंकित करते हुए अपील प्रस्तुत की गयी हैं, लेकिन वसीयत को किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौति दिये जाने अथवा वसीयत किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं। साथ ही अपीलाधीन आदेश

जिला कलक्टर अनूपगढ़

दिनांक 09.10.1984 के विरूद्ध वर्ष 2022 में 30 वर्ष से भी अधिक अवधि बीत जाने के बाद अपील प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वे वसीयतकर्ता से संबंध रखते हो तथा प्रश्नगत भूमि में उनका हक हिस्सा निहित हो। अपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार होने तथा अपील को अन्दर मियाद माने जाने के संबंध में कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को 30 वर्ष की अवधि के पश्चात अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित नहीं हैं।

5. **अतः प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अस्वीकार किये जाते हैं। चूंकि प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जा चुके हैं इसलिए अपील प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी हैं, अतः अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.02.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:46:44 IST
Reason: SelfAttested